GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 467
TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 26TH FEBRUARY, 2016
7, PHALGUNA, 1937 (SAKA)

PAN CARD

467: SHRI A.T. NANA PATIL:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Government proposes to make it mandatory to furnish PAN card details for cash transactions beyond a certain threshold and if so, the details thereof;

(b) whether the Government has received certain representations against the proposal and if so, the details thereof; and

(c) the corrective steps taken by the Government in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI JAYANT SINHA)

(a) to (c) The Government vide notification S.O.(3545)(E) dated 30.12.2015, has made quoting of Permanent Account Number (PAN) mandatory for all transactions (irrespective of the mode of payment) of sale or purchase of goods or services of any nature exceeding rupees 2 lakh and for other specified transactions with effect from the 1st day of January, 2016. A person not having PAN can however undertake such transactions by making a declaration in Form No.60 as prescribed.

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 467

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 फरवरी, 2016/ 7 फाल्गुन, 1937 (शक) को दिया जाना है)

पैन कार्ड

467. श्री ए०टी० नाना पाटील:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक निर्धारित सीमा से अधिक नकद संव्यवहार करने पर पैन कार्ड का विवरण देना अनिवार्य बनाने का है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस प्रस्ताव के विरुद्ध कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) से (ग) सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 2 लाख रुपए से अधिक मूल्य की किसी भी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री या खरीद के (भुगतान का चाहे कोई तरीका हो) सभी संव्यवहारों और अन्य विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के लिए स्थाई खाता संख्या (पैन) के उल्लेख करने को अधिसूचना का० आ० (3545) (अ) दिनांक 30.12.2015 के तहत अनिवार्य बना दिया है। तथापि, जिस व्यक्ति के पास पैनकार्ड नहीं है वह यथा निर्धारित फार्म सं० 60 में घोषणा करके ऐसा संव्यवहार कर सकता है।

******